IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

संख्या / / आ०आ०२१ / पर्यावरण/2014 दिनांकः

सेवा में,

1. समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त, जोनल कार्यालय।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियंता/निदेशक/अधिशासी अभियंता/उप निदेशक/परियोजना प्रबन्धक।
5. समस्त उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
6. सहायक निदेशक (उद्यान)।
7. विशेष कार्याधिकारी, समन्वय अनुभाग/अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण, मुख्यालय।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

विषयः **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित "पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण समिति" के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी औरैया के माडल योजना अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया डा0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष, समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति, उ0प्र0 शासन लखनऊ, कैम्प कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक 30/पर्या0/2013 दिनांक 26.12.2013 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित "पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समितिः के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने के संदर्भ में है।

अतः उक्त पत्र की संलग्नकों सहित छाया प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः **उपरोक्तानुसार 04 नग।**

भवदीय

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

पृ0सं0: 70 /उक्त/ दिनांकः 7.1.2014

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष, समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति, उ0प्र0 शासन लखनऊ, कैम्प कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के प्रेषित कि आपके पत्र के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं शासन के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि इसे परिषद की बेवसाइट पर अपलोड करा दें।

संलग्नकः **उपरोक्तानुसार 04 नग।**

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

मो/14

ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना

पर्यावरण विभाग
पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति

उ0 प्र0 शासन, लखनऊ, Email - ghhcy_kanpur@reddifmail.com, 7505853812

कैम्प कार्यालय - उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ

डायरी संख्या 7479
दिनांक 30.12.13

पत्रांक- 36/पर्या./2012 दिनाँक- 19.09.2012

सदस्य सचिव (प्रभारी)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रणं बोर्ड
लखनऊ ।

विषय - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित " पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति " के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी औरैया के मॉडल योजना अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या- 637/55-पर्या.- 2012, दिनाँक- 19.04.2012 व अपने बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या - एफ 04053/सी-2/ पा. - उ0 प्र0 शासन / 12, दिनाँक- 08-05-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त शासनादेश के अनुपालन में "स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रत्येक प्रदूषण जैसे कि- भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, इत्यादि को शून्य करने हेतु शिक्षण/ प्रशिक्षण, जन-जागरण अभियान, जनहित में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नियमित विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाकर दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार, प्रत्येक शिक्षण संस्थान, विभाग, आवासीय क्षेत्र-वार्ड या ग्राम पंचायत, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में त्रैमासिक वाद-विवाद प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण" आदि संबंधित विभाग के खर्चे पर कराना होगा । वार्षिक पुरस्कार प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर भी विभाग/संस्था/व्यक्ति/प्रतिष्ठान इत्यादि को प्रदान किया जायेगा जिसका नाम "पर्यावरण रत्न" होगा । सभी अपने कार्यालय गेट/फाइल/कक्ष/लेटर पैड में हरे रंग से पर्यावरण स्लोगन "हरे पेड़-पौधों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण" व अंग्रेजी में "हेल्थी ह्युमैन एण्ड इनवॉयरन्मेंट बाई ग्रीन हर्ब्स" लिखें व दूसरों को प्रोत्साहित करें । सभी शिक्षण संस्थान, विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठान व आवासीय क्षेत्र खुले में तथा सड़क के किनारे किसी प्रकार का कूड़ा, गंदा जल, रसायन, मेडिकल कूड़ा इत्यादि न डालें तथा गाय-भैंसों का चट्टा, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बड़ी संख्या में जानवर या पक्षी पालन व घूरा (कूड़ा) डालना आवासीय क्षेत्र से दूर करें अन्यथा उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी राजाज्ञा व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा, आर्थिक दण्ड उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित योजना खाते में जमा करा कर दोषियों को दण्डित कराया जायेगा । कोई भी यदि शासनादेश का दुश्प्रचार या जनता को गुमराह करेगा तो उसे भी इन्हीं धाराओं दण्डित कराया जायेगा । कृपया इस पत्र को उक्त शासनादेश, जिलाधिकारी औरैया के पत्रांक ग्री0 ह0 हे0 से0 यो0 स्था0/2010/ ओ0 एस0 डी0– 209, दिनाँक 15.03.2010 के समानुपालन हेतु व संलग्नकों सहित अपने समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों एवं प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों/मंडलायुक्तों को सूचनार्थ एवं समानुपालन कराने सहयोग हेतु प्रेषित कर हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु पूर्वादेश अनुसार कार्यालय/आवास इत्यादि दो सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संबंधी आदेशों का अनुपालन शत्-प्रतिशत् कराया जा सके । इस पत्र को क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसे अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उद्योग-बन्धु के माध्यम से सभी जिला-स्तरीय विभागों व उनके अन्तर्गत उद्योगों, अस्पतालों, चट्टा वालों, सुअर - मुर्गी पालन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लिखित प्राप्त करा कर शासन को प्राप्ति की पूर्ण अनुपालन आख्या दो सप्ताह में प्रेषित करने का कष्ट करें । कृपया इसे संलग्नकों सहित वेबसाइट में अवश्य अपलोड कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक - 1. जिलाधिकारी, औरैया का पत्र सं० ग्री० ह० हे० से० यो० स्था०/2010/ओ.एस.डी.- 902 दिनांक - 15-03-2010
2. उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड मुख्यालय सचिव पत्र सं० एफ. 04053/सी-2/पा. - उ० प्र० शासन/12 दिनांक-8-05-2012
3. भूमि सूची

भवदीय

(डा. के. एन. सिंह)
अध्यक्ष – समिति एवं योजना निदेशक

पत्रांक- 30/पर्या/2013 दिनांक- 26-12-2013

प्रतिलिपी:- 1. सचिव/अनुसचिव, पर्यावरण विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ को बोर्ड मुख्यालय एवं समस्त शासन स्तर के विभागों, जिलाधिकारियों / मंडलायुक्तों, आयोगों/संस्थानों/परिषदों इत्यादि को पत्र प्रेषित कर शून्य प्रदूषण मानक प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कराने हेतु ।

2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण संबंधी आदेश सं० 865, 18-12-2003 व भारत सरकार के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के पूर्ण अनुपालन हेतु "पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र" सभी आवासीय व व्यवसायिक भूखण्ड स्वामियों को हमारे कार्यालय से एन.ओ.सी. शुल्क अधोहस्ताक्षरी के नाम अनिवार्य रूप से जमा कर प्राप्त करने हेतु अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को सरकुलर भेजते हुए सभी से पूर्ण सहयोग प्रदान करायें व उक्त बिन्दुओं एवं समस्त संलग्नकों का अक्षरशः अनुपालन कराकर अपने अनुपालन आदेश सहित वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा. के. एन. सिंह)
अध्यक्ष – समिति एवं योजना निदेशक

3. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० आ० एवं वि० परिषद, वृत्त-4, कानपुर को समानुपालन कराने हेतु

S.E (P)

सचिव
27/12/13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. F04053/C-2/ भT- उ०प्र०शासन/12   दिनांक Dated 08-5-12

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर।

विषयः– <u>मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में लागू की गई ग्रीन हेल्थ सेन्टर योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत पर्यावरण रक्षा व नियंत्रण हेतु जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही के संबंध में।</u>

महोदय,

योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु शिक्षण और प्रशिक्षण।जनहित में समस्त शिक्षण संस्थानों, विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में करने के निर्देश दिए गए हैं। डा0 के0एन0 सिंह, योजना निदेशक के संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उनसे सम्पर्क कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही के संबंध में बोर्ड मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि :– अनुसचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 637/55–पर्या–2012 दिनांक 19.04.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव (प्रभारी)

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया

पत्रांक : / ग्रीo हo हेo सेo योo स्थाo / 2010 / osD-902 दिo 15.03.2010

1.मुख्य विकास अधिकारी, 2. अपर जिलाधिकारी, 3. समस्त उपजिलाधिकारी,
4. पुलिस अधीक्षक 5. मुख्य चिकित्साधिकारी 6. जिला विद्यालय निरीक्षक
7. समस्त जिला स्तरीय अधिo 8. समस्त खo विo अo 9.समस्त प्रधानाचार्य, महाविo, औरैया।

विषय :— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उo प्रo शासन द्वारा लागू की गयी "ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना" की स्थापना तथा पर्यावरण रक्षा हेतु संलग्न जड़ी–बूटियों की सूची अनुसार "धन्वन्तरि एवं नवग्रह वाटिका" की स्थापना के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर महोदय के पूर्व आदेशों क्रमशः 77 / शिविर / 2000 / दिo 19जून,2000 व अर्धशासकीय पत्रांक – 513 / शिविर / 2001दिनांक 29.06.2001 के अनुपालन में सुसज्जित कार्यालय क्लीनिक कमरों,2 –3 चिकित्सक / अधिकारी आवास, 2–3 स्टाफ आवास या अधिक " योजना कोटे" में निःशुल्क आवंटन कर तथा "पूर्ण अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित करने" के सम्बन्ध में।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सभी अस्पतालों / समस्त श्रेणी के स्कूल –कॉलेजों / ग्राम पंचायतों / कार्यालयों /औद्योगिक क्षेत्रों /सार्वजनिक पार्कों / सार्वजनिक क्षेत्रों इत्यादि में " ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना यूनिट की सुसज्जित स्थापना" की जाये तथा पर्यावरण रक्षा हेतु " धन्वन्तरि एवं नवग्रह वाटिका" नाम से ही जड़ी– बूटियों का बगीचा लगाया जाये ताकि जनता को विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय व भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति की सेवायें तथा ज्ञान / शक्ति वर्धक एवं आरोग्यकारी जड़ी–बूटियों की सेवन हेतु पूर्ति हो सके। समस्त ग्रामों में 2–3 एकड़ या अधिक से अधिक भूमि वाटिका हेतु उo प्रo सरकार के स्वायत्यशासी संस्थान – केo जेo इन्स्टीट्टयूट ऑफ वैदिक रिसर्च , औरैया जनपद की सेवाओं एवं विकास हेतु योजना हित में अनवार्य रूप से आवंटन कर नरेगा या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत बगीचा लगाया जाये जिसकी भूमि व ऊपज का स्वामित्व संस्थान का होगा। नहरों व माइनरों के दोनों किनारों की भूमि पर इसी प्रकार औषधीय वृक्षारोपड़ इसी योजना हेतु आवंटन कर कराया जाये जिसकी उपज का स्वामित्व संस्थान का व भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। वन विभाग की भूमि जनहित में आवंटन कर औषधीय बगीचा जगह – जगह लगाया जाये जिसमें भूमि का स्वामित्व वन विभाग व उपज का स्वामित्व संस्थान का होगा। इन बगीचों को " जनता के मार्गदर्शन हेतु – मॉडल हर्बल गार्डन" नाम दिया जाये। सभी भवनों में हरे रंग से पर्यावरण स्लोगन – " हरी – जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण" लिखा जाये। योजना क्लीनिक पर साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें योजना का नाम, हरे पेड़ – पौधों से समस्त रोगो का इलाज, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण रक्षा। वाटिका में भी ऐसा ही साइन बोर्ड के साथ प्रत्येक जड़ी–बूटी के सभी नाम, उपयोग आदि नाम पट्टिका लगा कर ज्ञानवर्धन किया जाये। समस्त उक्त "योजना नोडल अधिकारी" अपने–अपने कार्यालय अधिकार क्षेत्र में अनिवार्य रूप से योजना के आदेशों का विलम्बतम एक सप्ताह में " पूर्ण अनुपालन करा कर आख्या" प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सभी महाविद्यालय व इण्टर कॉलेज, योजना निदेशक के नाम निर्धारित "योजना शुल्क पूर्ण सत्र का" योजना खाता सं. – 65034561758, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में स्टेट बैंक या अन्य बैंक के माध्यम से भी उपलब्धता के अनुसार जमा करायें। चिकित्सा स्टाफ के साथ योग प्रशिक्षक तथा समस्त शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षक व खेलकूद / शारीरिक शिक्षक इसी योजना से नियुक्त कर प्रदान किये जायेगें। समस्त विभाग योजना के अधिकारी व स्टाफ को पुलिस विभाग की तरह स्तर के अनुसार वाहन सुविधा ईंधन / चालक सहित तथा आवासों व कार्यालय / क्लीनिक कमरे आवंटित कर समस्त आवश्यक सुविधाएं समस्त विभागीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रदान करें। समस्त विभाग योजना स्टाफ को पूर्ण सहयोग प्रदान करें अन्यथा शिकायत मिलने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। मार्गदर्शन हेतु कुछ शासनादेश व पूर्वादेश समान अनुपालन हेतु संलग्न हैं जिन्हें सम्बन्धित विभाग के "योजना नोडल अधिकारी" अपने अधिकार क्षेत्र में समान रूप से जारी कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। मासिक बैठक, स्वास्थ्य गोष्ठी, ज्ञान – विज्ञान प्रतियोगितायें, इत्यादि कराते रहें एवं प्रगति आख्या मुख्यालय को भेजते रहें जिसकी पत्रावली नजारत विभाग में रहेगी। बैठकों में योजना अधिकारी व स्टाफ के साथ प्रथम / द्वितीय नोडल अधिकारियों को अवश्य आमंत्रित करें।

संलग्नक – यथोपरि

जिलाधिकारी
औरैया

जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण

दिनांक 05-07-2001

ग्रीन हर्बल हैल्थ सेन्टर :- स्थापना के साथ जड़ी-बूटियों का बगीचा लगाने हेतु पेड़-पौधों, फूलों व लताओं की सूची जिन्हें नाम पट्टिका सहित कम से कम 10-10 की संख्या में लगाये जायें साथ में "नवग्रह वाटिका" के पौधे ग्रह-शांति हेतु लगायें।

===

(1) बड़े पेड़-पौधों की सूची :- बालम खीरा, हर्र, बहेड़ा, आंवला, अमलतास, अर्जुन, कैथ, सहजन, ढाक, अरण्ड, करौंदा, बिजौरा नींबू, मीठी नीम, बच, पाटल, कमरख, कमीला, बोगनवेल, चन्दन, कुटज, आम, अमरूद, जामुन, बेल, बरगद, पाकर, पीपल, अशोक इत्यादि।

(2) छोटे पेड़-पौधों की सूची :- लटजीरा लाल डण्डी वाला, लटजीरा सफेद डण्डी वाला, भृंगराज काला, भृंगराज हरा, गोमा, द्रोण पुष्पी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, पुनर्नवा, गोखरू छोटी, गोखरू गोमुखी, पित्तपापड़ा, कुकरौंधा, नागफनी, बिस्मार्क, करील, सुदर्शन, अश्वगन्धा, सर्पगन्धा, घृतकुमारी मीठा, घृत कुमारी कड़वा, धतूरा हरा, धतूरा काला, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बरियारा, बरियारा, अडूसा, काली मकोई, लाल मकोई, पत्थरचट्टा, जंगल गोभी, भू-आंवला, जंगली कुंदरू, लाल अकोड़ा, सफेद अकोड़ा, बैंगनी सदाबहार, सफेद सदाबहार, कुलिंजन, ईश्वरी, किवांच, अंगूर, सोमराज, कुनैन, दालचीनी, चिरायता, आंबा हल्दी, लेमन ग्रास, कपास, छोटी इलायची, सुगन्धी, असमानिया, दुद्धी, हींग, हेमन्त हरित, कुटकी, मुलहठी, अनन्तमूल, कुरथी (इन्द्र जौ), पारा, सिताबा, नील कलमी, मेंहदी, जटामांसी, निर्गुण्डी, हरमल, सदाबहार, पिपली, छतमोल, पथरचूरी, बाकची, छोटा चांद, रैमन्दवीनी, कुठ, खरेटी, भटकटैया (कटेरी), गिलोय, जंगली प्याज इत्यादि।

(3) फूलों के पेड़पौधों की सूची :- देशी गुलाब, गेंदा (सभी तरह के), चम्पा, चमेली, चाँदनी, कुसुम, कनेर, बेला, अगस्त, गुड़हल, कचनार तथा नर्सरी में पाये जाने वाले अन्य फूल।

(4) नवग्रह वाटिका :- के पौधों को सारिणी इस आलेख को उत्तर दिशा से करके पेड़-पौधों को दिशाओं में लगायें।

उत्तर

बुध / चन्दन	गुरु / पीपल / हल्दी	शुक्र / आपामार्ग (गूलर)
शनि / शमी / चिरचिटा	चन्द्र / पलाश / ढाक	सूर्य / मदार / अर्क
राहु / चन्दन / दूब	मंगल / खैर / अनन्तमूल	केतु / असगंध (कुश)

पश्चिम — पूर्व

दक्षिण